Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर डिस्कॉम का कनिष्ठ अभियंता 40 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *12 मई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जोधपुर शहर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये विपेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता (डी–1) जोधपुर डिस्कॉम को परिवादी से **40 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर शहर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फैक्ट्री के कनेक्शन का लोड घटाने की पत्रावली स्वीकृत करने की एवज में विपेन्द्र सिंह कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता (डी–1) जोधपुर डिस्कॉम द्वारा 60 **हजार रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चंद विश्नोई** के सुपरवीजन में एसीबी जोधपुर शहर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये विपेन्द्र सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह निवासी जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता (डी–1) जोधपुर डिस्कॉम को परिवादी से **40 हजार रूपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।